

अधिसूचना

विषय:- लखनऊ मण्डल के चिकित्सा विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रेल सेवा में पुनर्नियुक्ति (re-engagement) के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन जी)- II/2007/आर० सी०-4/सी० ओ० आर० ई०/ । दिनांक- 16/10/17 एवं ई (एन जी)- II/2007/आर० सी०-4/सी० ओ० आर० ई०/ । दिनांक- 12/12/17 तथा महाप्रबंधक (कार्मिक) गोरखपुर द्वारा दिनांक 25.10.17 को जारी दिशा निर्देशों (जो पत्र संख्या का /227/ 2 /री-इंगेजमेंट/4 दिनांक 1.12.17 द्वारा प्रसारित किये गए) एवं पत्र संख्या – ई (एन जी)- II/2005/ आर० सी०-4 /एस० सी०/2 पार्ट 1 दिनांक-28/06/24 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ मण्डल के चिकित्सा विभाग के निम्नलिखित श्रेणियों में रेल सेवा से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम सं	विभाग का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद
1	चिकित्सा	स्टाफ नर्स फार्मसिस्ट	07 पद 02 पद

पुनर्नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें निम्नवत हैं-

- 1- यह योजना दि 30.06.2025 तक वैध है। रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार भविष्य में वैधता बढ़ाई जा सकती है।
- 2- पुनर्नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
- 3- संरक्षा से सम्बद्ध सेवा निवृत्त योजना/उदारीकृत एक्टिव सेवा निवृत्ति योजना (लार्जस योजना) के अंतर्गत स्वै० सेवा निवृत्ति कर्मचारी पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 4- निष्कासित/बर्खास्त /अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारी उक्त अधिसूचना के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त पदों हेतु पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर, लखनऊ, वाराणसी मण्डल तथा मुख्यालय गोरखपुर से सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारी तथा अगले 03 माह में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं।
- 5- इच्छुक उम्मीदवारों के पिछले 3 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड की जाँच की जायेगी।
- 6- आवेदित पद के अनुसार चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ही पुनर्नियुक्ति की जायेगी।
- 7- आवेदित पद हेतु कर्मचारी की सुयोग्यता / सक्षमता की जाँच स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जायेगी। आवेदित पदों हेतु अधिमान्य मानकों के योग्य पाये जाने पर ही पुनर्नियुक्ति की जायेगी। पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति तथा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन ही अंतिम निर्णय होगा।



- 8- रेलवे बोर्ड के पत्र आरबीई सं० 150/2017 दिनांक 16.10.17 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व कर्मचारियों को पुनर्नियोजन पर पारिश्रमिक, अंतिम वेतन (पे+डीए) से पेंशन घटाकर देय होगा।
- 9- रिक्त पदों पर आरआरबी / आरआरसी / पदोन्नति अथवा अन्य प्रशासनिक कारण से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने पर पुनर्नियुक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें असंतोषजनक पाये जाने पर बिना किसी प्रस्तावित प्रक्रिया के समाप्त कर दी जायेगी।
- 10- पुनर्नियुक्त कर्मचारी के ड्यूटी के घंटे वही होंगे जो उस पद पर लागू होंगे जिस पर उसे पुनर्नियुक्त किया जायेगा।
- 11- पुनर्नियुक्त कर्मचारी को लखनऊ मण्डल के किसी भी स्टेशन/स्थान पर विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार पदस्थापित किया जाएगा।
- 12- पुनर्नियुक्त कर्मचारी को कोई सीएल / एल०ए०पी / सिक लीव आदि देय नहीं होगी। यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित होता है तो पारिश्रमिक में कटौती की जायेगी।
- 13- चयनित अभ्यर्थियों का इंगेजमेंट उपलब्ध रक्ति के विरुद्ध ही किया जायेगा।
- 14- पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारी/ आवेदन आवश्यक सम्बंधित प्रमाण पत्रों सहित अंतिम कार्यरत स्थल के पर्यवेक्षक से अपना आवेदन अग्रसारित कराकर सीधे इलेक्ट्रॉनिक परिवार केंद्र लखनऊ (ईजीआरएस) के माध्यम से प्रेषित / जमा कर सकते हैं।
- 15- इस अधिसूचना का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप रेलवे की वेबसाइट www.indianrailway.gov.in/Division/Lucknow/Personnel/Re-engagement पर उपलब्ध है।
उक्त अधिसूचना का कार्यरत रेल कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
- 16- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.10.2024 तक होगी इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

सकाधि-III

कृते मण्डल रेल प्रबंधक (का०)

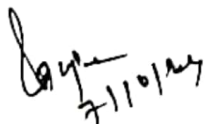
लखनऊ

दिनांक-07.10.2024

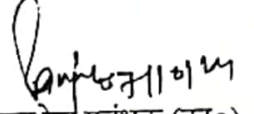
सं०-ई/II/227/मेडि./रीइंगेजमेंट/18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महाप्रबंधक (कार्मिक) गोरखपुर


7-11-24

- 2- मुचिधि/बादशाहनगर, वमंविप्र/लजं०, वमंकाधि/लजं०
- 3- मुचिधि/गोंडा, ACMS/ASH, DMO/STP, CMP/MLN, CMP/NNP, CMP/ANDN, CMP/BST
- 4- मण्डल मंत्री / नरमू /एससी/एसटी/ओबीसी एसो०
- 5- मुख्य स्वास्थ्य निरी० बादशाहनगर, ऐशनाग, लजं०, लखनऊ सिटी, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, लखीमपुर, गोरखपुर।
- 6- मुख्य जन संपर्क अधिकारी गोरखपुर तथा जन सम्पर्क अधिकारी/लजं०
- 7- सूचना पट्ट।


कृते मण्डल रेल प्रबंधक (का०)
लखनऊ

आवेदन पत्र

विषय:- सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप।

सन्दर्भ:- अधिसूचना ई/11/227/मेडि./रीइंगेजमेंट/18 दि० 07.10.24

1- नाम-----

2- पिता का नाम-----

3- सेवानिवृत्त के समय पद-----

4- विभाग व कार्यस्थल-----

5- शैक्षिक योग्यता/ तकनी० योग्यता-----
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6- जन्म तिथि-----

7- नियुक्ति तिथि-----

8- सेवा निवृत्ति तिथि-----

9- पी०एफ० सं०-----

10- अजा/अजजा/ओ०बी०सी०/सामान्य- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)-----

11- पे लेवल एवं ग्रेड पे-----

12- अंतिम प्राप्त वेतन रू०-----

13- आवेदित पद का नाम-----

14- प्राप्त बेसिक पेंशन-----
(पी०पी०ओ० सं०- संलग्न करें)

15- मोबाइल सं०-----

16- पत्राचार का पता (पिन कोड सहित)-----

सत्यापित फोटो

कर्मचारी का हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले प्रभारी का हस्ताक्षर

